रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2014/कार्तिक 28, 1936
No. 605] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2014/KARTIKA 28, 1936

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 819(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में,—

(i) नियम 19 के उप-नियम (2) में,—

(क) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्,—

"(ख) (i) कंपनी द्वारा जारी साम्या शेयरों का प्रत्येक वर्ग या किस्म या साम्या शेयरों में संपरिवर्तनीय डिबेंचर का कम से कम 25 प्रतिशत, यदि कंपनी की प्रस्थापना कीमत पर संगणित निर्गम पश्च पूंजी एक हजार छह सौ करोड़ रुपए से कम या उसके बराबर है;

(ii) कंपनी द्वारा जारी साम्या शेयरों का प्रत्येक वर्ग या किस्म या साम्या शेयरों में संपरिवर्तनीय डिबेंचर का कम से कम ऐसा प्रतिशत जो चार सौ करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर है, यदि कंपनी की प्रस्थापना कीमत पर संगणित निर्गम पश्च पूंजी एक हजार छह सौ करोड़ रुपए से अधिक किंतु चार हजार करोड़ रुपए से कम या उसके बराबर है;

(iii) कंपनी द्वारा जारी साम्या शेयरों का प्रत्येक वर्ग या किस्म या साम्या शेयरों में संपरिवर्तनीय डिबेंचर का कम से कम 10 प्रतिशत, यदि कंपनी की प्रस्थापना कीमत पर संगणित निर्गम पश्च पूंजी चार हजार करोड़ रुपए से अधिक है:

परंतु उप-खंड (ii) या उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट कंपनी अपनी लोक शेयर धृति को प्रतिभूतियों के सूचीबद्ध करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में कम से कम 25 प्रतिशत तक बढ़ाएगी:

परंतु यह और कि यह खंड किसी कंपनी को लागू नहीं होगा जिसका प्रारूप प्रस्थापना दस्तावेज प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख को या उससे पूर्व भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास लंबित है, यदि वह प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1956 के नियम 19 के उप-नियम (2) के खंड (ख) में विहित शर्तों को पूरा करती है, जैसा कि ऐसे प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व विद्यमान है ।";

(ख) खंड (ग) का लोप किया जाएगा ।

(ii) नियम 19क में, उप-नियम (1) के स्पष्टीकरण में, "का उप-खंड (ii)" अक्षर, शब्द, कोष्ठक और अंकों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 5/35/2006-सीएम]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

टिप्पण: मूल नियम का.नि.आ. 576 तारीख 21 फरवरी, 1957 को प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चात्वर्ती संशोधन सं. सा.का.नि. 1096, तारीख 14 जुलाई, 1967, सं. सा.का.नि. 685, तारीख 3 जून, 1972, सं. सा.का.नि. से का.नि. 959, तारीख 8 अगस्त, 1975, सं. सा.का.नि. 2641, तारीख 1 नवंबर, 1975, सं. सा.का.नि. 1083, तारीख 11 नवंबर, 1985, सं. सा.का.नि. 1070(अ), तारीख 15 नवंबर, 1988, सं. सा.का.नि. 666(अ) तारीख 20 जुलाई, 1987, सं. सा.का.नि. 870(अ), तारीख 13 नवंबर, 1992, सं. सा.का.नि. 617(अ), तारीख 20 सितंबर, 1993, सं. सा.का.नि. 749(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 1994, सं. सा.का.नि. 790(अ), तारीख 7 नवंबर, 1994, सं. सा.का.नि. 790(अ), तारीख 7 नवंबर, 1994, सं. सा.का.नि. 121(अ), तारीख 9 मार्च, 1995, सं. सा.का.नि. 291(अ), तारीख 27 मार्च, 1995, सं. सा.का.नि. 581(अ), तारीख 23 दिसंबर, 1996, सं. सा.का.नि. 654(अ), तारीख 8 अगस्त, 2000, सं. सा.का.नि. 655(अ), तारीख 8 अगस्त, 2000, सं. सा.का.नि. 415(अ), तारीख 7 जून, 2001, सं. सा.का.नि. 696(अ), तारीख 28 अगस्त, 2003, सं. सा.का.नि. 395(अ), तारीख 10 जून, 2009, सं. सा.का.नि. 469(अ), तारीख 4 जून, 2010, सं. सा.का.नि. 662(अ), तारीख 9 अगस्त, 2010 और सं. सा.का.नि. 611(अ), तारीख 22 अगस्त, 2014 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2014

G.S.R. 819(E).—In exercise of the power conferred by section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules,1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) Third Amendment Rules, 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957,—

(i) in rule 19, in sub-rule (2),—

(a) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) (i) at least twenty five per cent. of each class or kind of equity shares or debenture convertible into equity shares issued by the company, if the post issue capital of the company calculated at offer price is less than or equal to one thousand six hundred crore rupees;

(ii) at least such percentage of each class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by the company equivalent to the value of four hundred crore rupees, if the post issue capital of the company calculated at offer price is more than one thousand six hundred crore rupees but less than or equal to four thousand crore rupees;

(iii) at least ten per cent. of each class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by the company, if the post issue capital of the company calculated at offer price is above four thousand crore rupees:

Provided that the company referred to in sub-clause (ii) or sub-clause (iii), shall increase its public shareholding to at least twenty five per cent. within a period of three years from the date of listing of the securities, in the manner specified by the Securities and Exchange Board of India:

Provided further that this clause shall not apply to a company whose draft offer document is pending with the Securities and Exchange Board of India on or before the commencement of the Securities Contracts (Regulation) Third Amendment Rules, 2014, if it satisfies the conditions prescribed in clause (b) of sub-rule (2) of rule 19 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1956 as existed prior to the date of such commencement.";

(b) clause (c) shall be omitted;

(ii) in rule 19A, in the Explanation to sub-rule (1), the words, brackets and figures "sub-clause (ii) of" shall be omitted.

[F. No. 5/35/2006-CM]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy. (Financial Markets)

Note : The principal rules were published *vide* number S.R.O. 576, dated the 21st February, 1957 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R 1096, dated the 14th July, 1967, G.S.R. 685, dated the 3rd June, 1972, G.S.R. to S. R. 959, dated the 8th August, 1972, G.S.R. 2641, dated the 1st November, 1975, G.S.R. 1083, dated the 11th November, 1985, G.S.R. 1070(E), dated the 15th November, 1988, G.S.R. 666(E), dated the 20th July, 1987, G.S.R. 870(E), dated the 13th November, 1992, G.S.R. 617(E), dated the 20th September, 1993, G.S.R. 749(E), dated the 12th October, 1994, G.S.R. 790(E), dated the 7th November, 1994, G.S.R. 121(E), dated the 9th March,1995, G.S.R. 291(E), dated the 27th March, 1995, G.S.R. 581(E), dated the 23rd December, 1996, G.S.R. 654(E), dated the 8th August, 2000, G.S.R. 655(E), dated the 8th August, 2000, G.S.R. 415(E), dated the 7th June, 2001, G.S.R. 696(E), dated the 28th August, 2003, G.S.R. 395(E), dated the 10th June, 2009, G.S.R. 469(E), dated the 4th June, 2010, G.S.R. 662(E) dated the 9th August, 2010 and G.S.R. 611(E), dated the 22nd August, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.